भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4543
जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर औद्योगिक गलियारे

4543. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के राजमार्गों पर औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए बिहार और अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
(ख) राज्यों से प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य के राजमार्गों पर औद्योगिक गलियारों के विकास से राज्यों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और अधिक राजस्व सृजित होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) का उद्देश्य वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों और क्लस्टरों का विकास करना है। इस कार्यक्रम के तहत, प्लॉट स्तर पर टिकाऊ बुनियादी संरचना और प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ विकास के लिए बीस स्मार्ट शहरों/नोड्स को लिया गया है।

इन शहरों का चयन और विकास परियोजना की तत्परता, भूमि की उपलब्धता और मल्टी-मॉडल बुनियादी संरचना की समीपता पर आधारित है। पीएम- गतिशक्ति के माध्यम से बुनियादी संरचना की कमियों को चिन्हित की जाती है और अंतर-मंत्रालयी नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) के परामर्श से आवश्यक हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी जाती है। इन कमियों को संबंधित राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समाधान किया जाता है, जिससे औद्योगिक शहर के विकास के साथ समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

एनआईसीडीपी के अंतर्गत सभी बीस परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं तथा एनएच/राज्य राजमार्ग (एसएच)/ जिला प्रमुख सड़क (एमडीआर) के माध्यम से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, हाल ही में स्वीकृत 12 नए औद्योगिक गलियारों से लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।

*****